



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2216]

नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 10, 2016/भाद्र 19, 1938

No. 2216]

NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 10, 2016/BHADRA 19, 1938

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 2016

का.आ. 2915(अ).—संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 2016 की धारा 1 की उपधारा (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, एतद्वारा, 12 सितंबर, 2016 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिस तारीख से उक्त अधिनियम की धारा 12 के प्रावधान प्रवर्तित होंगे।

[फा. सं. 31011/09/2015-एसओ (एसटी)]

उदय सिंह कुमावत, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th September, 2016

S.O. 2915(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Constitution (One Hundred and First Amendment) Act, 2016, the Central Government hereby appoints the 12th day of September, 2016 as the date on which the provisions of section 12 of the said Act shall come into force.

[F. No. 31011/09/2015-SO (ST)]

UDAI SINGH KUMAWAT, Jt. Secy.

4386 GI/2016